उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–5
संख्याः 260 ईजी / 23–5–2013–50(71)ईजी / 04
लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों ठहरने वाले आगुतंकों से किराया वसूल किये जाने विषयक शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या–33 ईजी / 23–5–04–50(71)ईजी / 2003, दिनांक 03 नवम्बर, 2004 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महो इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित तालिका के कॉलम–5, 6, 7 एवं 8 में अंकित किरा वसूल किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आगन्तुकों की श्रेणी	निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का वर्तमान किराया		निरीक्षण भवनों एवं विश्राम गृहों का पुनरीक्षित किराया			
	किराया प्रतिदिन (प्रति कक्ष)	बिजली शुल्क प्रतिदिन (प्रति कक्ष)	किराया प्रतिदिन (प्रति कक्ष)		बिजली शुल्क प्रतिदिन (प्रति कक्ष)	
			AC	Non AC	AC	Non AC
2	3	4	5	6	7	8
सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन तक	30.00	15.00	60.00	40.00	60.00	20.00
सरकारी अधिकारियों से ड्यूटी पर 07 दिन से अधिक ठहरने पर	60.00	15.00	120.00	80.00	60.00	20.00
सरकारी अधिकारियों, जो निजी कार्य से ठहरते हैं।(07 दिन तक)	120.00	15.00	200.00	160.00	60.00	20.00
सरकारी अधिकारियों, जो निजी कार्य से ठहरते हैं। (07 दिन से अधिक)	140.00	15.00	250.00	200.00	60.00	20.00
पर्यटकों / प्राईवेट व्यक्तियों से	200.00	15.00	400.00	200.00	60.00	20.00
विदेशी पर्यटकों से	200.00	15.00	600.00	400.00	60.00	20.00
मा0 मंत्रीगण तथा समकक्षता प्राप्त, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान सभा, सभापति व उप सभापति, विधान परिषद, उप मंत्री	शून्य		शून्य	बिजली के बिल का व्यय शासन के सचि0 प्रशा0(लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी	शून्य	बिजली के बिल व्यय शासन के सचि प्रशा0(लेखा) अनु0 द्व भुगतान की पूर्व व्यवस्था रहेगी
मंत्रीगण के संसदीय सचिव	शून्य	बिजली के बिल का व्यय शासन के सचि0 प्रशा0(लेखा) अनु0 द्वारा भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था रहेगी	"	"	"	बिजली के बिल व्यय शासन के सचि प्रशा0(लेखा) अनु0 द्व भुगतान की पूर्व व्यवस्था रहेगी
विधायकों एवं विधान सभा तथा विधान परिषद सदस्यों से	शून्य	– तदैव – 2. यदि ड्यूटी पर जाते हैं तो केवल सेवाशुल्क	"	"	"	– तदैव – 2. यदि ड्यूटी पर ज हैं तो केवल सेवाशुल्क
उ0प्र0 के निगमों / स्वा0 संस्थाओं के अधिकारियों से	120.00	15.00	200.00	160.00	60.00	20.00
भारत सरकार के अधिकारियों से (07 दिन तक)	60.00	15.00	200.00	160.00	60.00	20.00
भारत सरकार के अधिकारियों से (07 दिन से अधिक)	60.00	15.00	400.00	320.00	60.00	20.00
अन्य राज्य के अधिकारियों से (यदि इस सम्बन्ध में कोई पारस्परिक व्यवस्था हो तो एक ही वर्ग माना जाये, अन्यथा सामने संशोधित दर लागू होगी।)	120.00	15.00	200.00	160.00	60.00	20.00
भारत गणराज्य तथा अन्य प्रदेश के सरकारी निगमों / उपक्रमों के कर्मचारी	120.00	15.00	200.00	160.00	60.00	20.00

उक्त संशोधित दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ लागू होगी :–

1. मा0 उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश व मा0 न्यायाधीश उपरोक्त क्रम संख्या–6 अनुसार निःशुल्क रहने के अधिकारी होंगे।

2. प्रत्येक सरकारी अधिकारी या रियायती दर पर रूकने के लिये अर्ह अन्य व्यक्ति सात दिन पूर्ण करने के पश्चात उसी निरीक्षण गृह में पुनः 3 दिन के पश्चात ही रूक सकेंगे। अतः गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये निर्धारित किराया वसूल किया जायेगा।
3. कक्षों में रूकने वाले महानुभावों से एक सप्ताह तक सामान्य किराया लिया जायेगा और एक सप्ताह से अधिक, किसी भी आगन्तुकों को ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई आगन्तुक इस अवधि से अधिक ठहरते हैं तो उसे एक माह तक अनुमन्य किराये का दो गुना प्रतिदिन और उसके पश्चात चार गुना प्रतिदिन प्रतिकर के रूप में भुगतान करना होगा।
4. यदि कोई आगन्तुक एक सप्ताह रूकने के पश्चात 10 दिन के अन्दर पुनः एक या दो दिन दोबारा रूकता है, तो सामान्य किराया लिया जायेगा, किन्तु यदि पुनः तीन दिन या अधिक अवधि तक रूकता है तो दोनों अवधि का अन्तर होना चाहिए। यदि अन्तर दस दिन से कम है तो सामान्य किराया न लेकर पूरी अवधि को एक मानते हुए उपरोक्त प्रतिबन्ध–2 के अनुसार प्रतिकर वसूल किया जायेगा।
5. शासन के मा0 सदस्यों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान सभा, सभापति एवं उप सभापति विधान परिषद पर उपर्युक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।
6. यदि कोई सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए एक दिन से अधिक सूट आरक्षित कराता है, तो उससे उपरोक्त तालिका के क्रमांक–4 के अनुसार प्रत्येक सूट का अतिरिक्त प्राईवेट व्यक्तियों की भाँति किराया वसूल किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई0–8–998/दस–2013, दिनांक 14 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या–260(1)ईजी/23–5–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभि0(विकास)एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभि0(परि./नियो.)लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभि0(भवन) लो0नि0वि0, लखनऊ
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. मा0 सभापति, विधान परिषद/मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।
6. वित्त ई–8/लो0नि0अनु0–10/सिंचाई अनु0–8/वन अनु0–3/राज्य सम्पत्ति अधिकारी
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।